प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 07/2022)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया "दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 1)

नई दिल्ली, 27 जनवरी 2022 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ((भादूविप्रा) द्वारा आज "दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 1)" जारी किया।

प्राधिकरण को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा तीस दिन या एक महीने की अवधि के बजाए 28 दिनों की वैधता (या उसके गुणकों में) के टैरिफ पेशकशों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले उपभोक्ताओं से संदर्भ प्राप्त हुए हैं । प्राधिकरण ने नोट किया है कि, टीएसपी 28 दिनों के टैरिफ ऑफ़र की वैधता अवधि का खुलासा करने में पारदर्शी रहे हैं और उन्हे बतौर मासिक टैरिफ पेश करने का प्रयास नहीं किया है। फिर भी , प्राधिकरण इस संबंध में उपभोक्ताओं की चिंताओं और धारणाओं को दूर करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है।

2。 तदनुसार, मौजूदा प्रचलन के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.05.2021 को "टैरिफ ऑफ़र की वैधता अवधि " पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां मांगी गई थीं। प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों का विवरण वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। प्राधिकरण ने परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित किया।

3。 इस संबंध में सभी हितधारकों/प्रतिभागियों के विचारों और अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने उप-खंडों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।

(xi) और (xii) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 6 में, उप-खंड (x) के बाद बाद जो निम्नानुसार हैं:

> "(xi) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता तीस दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा।
>
> (xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा जिसका हर महीने की एक ही तारीख को नवीनीकरण होगा।

4. संशोधन के अधिनियमित होने से, दूरसंचार उपभोक्ताओं के पास उपयुक्त वैधता और अवधि की सेवा पेशकश को चुनने के लिए अधिक विकल्प होंगे। इससे उपभोक्ताओं को टैरिफ से संबंधित अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प चुनने में भी सुविधा होगी। संशोधन आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार टैरिफ (छियासठवां संशोधन) आदेश, 2022 के कारणों और औचित्य का विवरण दिया गया है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री कौशल किशोर, सलाहकार (एफ एंड ई ए), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: advfea1@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91 11 23230752 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी रघुनंदन)

सचिव, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण